मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-1/2013/नियम/चार — भोपाल, दिनांक 6-1-2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन नियम, 1979 में न्यायालयीन प्रकरणो के कारण पुनर्विचार ।

—••—

शासन के ध्यान में आया है कि मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवायें पेंशन प्रयोजन हेतु जोड़ने के संबंध में कई न्यायालयीन प्रकरण दायर हुये हैं ।

2/ उक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के नियम 4(क) के अनुसार स्थाई कर्मचारी को पेंशन/परिवार पेंशन की पात्रता आती है । इन्ही नियमों के नियम 2(ग) के अनुसार स्थाई कर्मचारी का आशय ऐसे कर्मचारी से है, जिसने 10 वर्ष की सेवा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के अंतर्गत कर ली हो । अतः वे श्रमिक जिन्हें कि उस कार्य के संबंध में दैनिक भुगतान मिलता है तथा वे कर्मचारी जो कि उस कार्य के संबंध में मस्टर रोल पद्धति से नियोजित किये जाते हैं, उपर्युक्त नियमों की परिधि में नहीं आयेगें ।

3/ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियम 6(3) में नियमित सेवा में संविलियन के स्थिति के वे श्रमिक जिन्हें कि उस कार्य के संबंध में दैनिक भुगतान मिलता है तथा वे कर्मचारी जो कि मस्टर रोल पद्धति से नियोजित किये जाते हैं, शामिल नहीं है ।

4/ सभी विभाग उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

Sunita/ punpu2013

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-1/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 6 जनवरी, 2014

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्राालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग